RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-04
April-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

भिक्षावृत्ति : आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए कोढ़

[1]डॉ0 अवधेष कुमार दूबे; [2]श्रीमती सीतू

[1]प्रवक्ता अर्थशास्त्र कमला नेहरू विधि संस्थान सुलतानपुर
[2]गृहविज्ञान (शोध छात्रा) पी0के0 युनिर्वसिटी, शिवपुरी, म0प्र0

भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसके विकास की गति निरन्तर वैश्विक विकास को उच्च मानकों को पूरा कर रही है। किन्तु यहॉ अज्ञानता, रूढ़िवादिता, सामाजिक मान्यता, जातिवादिता, धर्मान्धता आदि कई सामाजिक समस्याओं की भी बहुतायता पायी जाती है, इन्ही समस्याओं में से एक जटिल समस्या भिक्षावृत्ति की भी है, जो वैयक्तिक पिछड़ेपन के साथ–साथ सामाजिक पिछड़ेपन का भी लक्षण है। व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता को छोड़ कर जब 'भिक्षा' या 'दान' द्वारा अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने लगता है तो यह उसकी मानसिकता को विकृत कर देता है। यह समाज की उत्पादन क्षमता को भी अनुत्पादक बना देता है। व्यक्ति बिना कोई प्रयास के पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रृत होता है और फिर धीरे–धीरे यह उसकी मानसिकता में शामिल होती जाती है, जिस कारण वह भिक्षा प्राप्त करना अपना अधिकार समझ लेता है और जब कभी सरकार अथवा किसी भी सुधारकारी इकाईयों द्वारा इसके रोक के लिए उपाय किये जाते है तो वह सामाजिक उन्माद पैदा करने लगता है। वह इसे संरक्षण देने के लिए कभी इसे धर्म से जोड देता है तो कभी जाति से, कभी सामाजिक स्तर से तो कभी अधिकार से। किन्तु किसी भी दषा में वह इसे छोड़ कर सुधारात्मक प्रक्रिया का अंग नहीं बनना चाहता। यहीं सोच सामाजार्थिक दिवालियापन, विकृत मानसिकता अथवा सामाजिक पिछड़ेपन को जन्म देती है।

भिक्षावृत्ति की विचारधारा का परिचय :

भिक्षावृत्ति को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक पहलुओं को समझना अति आवश्यक है। 'भिक्षा' से आशय मांगने से है तथा 'वृत्ति' से आशय स्वभाव से है। जब किसी के द्वारा मॉगन अर्थात् याचना को ही अपना स्वभाव बना लिया जाय तो इसे 'भिक्षावृत्ति' समझा जाता है और उस व्यक्ति को भिखारी माना जाता है। यह मानसिकता सदियों से ही घृणित रही हैं। इसे कभी भी सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है। जिस कारण हमारे पुरातन विचारकों ने इसे निम्नरूप से प्रदर्शित किया है : –

कविवर घाघ के शब्दों में :

उत्तम खेती मध्यम वान। निषद चाकर भीख निदान।।

कविवर घाघ इसे आजीविका का अन्तिम मार्ग मानते है। उनके अनुसार जब आजीविका के समस्त रास्ते बन्द हो जाये तब भीख मानना चाहिए।

कविवर कबीर ने तो इसे सम्मान से जोड़ कर प्रस्तुत किया है :

मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज।

कविवर रहीम ने इसे अपमान के समान मानते हुए लिखा है कि

रहिमान याचकता गहे, बड़े छोट हैं जात।

एक अन्य मत में कबीर दास जी ने कहा है कि

मांगन मरन समान है, मत मांगों कोई भीख।

उक्त समस्त मतों से इस तथ्य का भान होता है कि मॉगना, भीख लेना, याचना करना कभी भी समाज में सम्मान के दृष्टि से नहीं देखा गया किन्तु फिर प्रश्न उठता है कि कैसे यह धीरे–धीरे एक आदत बन गयी। इस आशय का भी एक वैचारिक इतिहास है। यह विचार धारा में भिक्षावृत्ति' को कुछ अलग ही रूप से परिभाषित करती है।

इस विचारधारा के सर्मथक 'भिक्षा' का अर्थ मॉगने एवं 'वृत्ति' का अर्थ व्यवसाय से वर्णित करते है। अर्थात् जब भीख मॉगने को ही अपने आजीविका का आधार मान लिया जाय तो उसे 'भिक्षावृत्ति' कहते है। इस विचार को समर्थन करने वाले विचारकों ने सुदामा चरित में उक्त कथन से भिक्षावृत्ति का समर्थन किया है कि

बामन कय धन केवल भिक्षा।।

प्राचीन काल में जब आश्रम प्रणाली अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उस समय ग्रहस्थ आश्रम में रहने वालों पर ही शेष तीन आश्रमों (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, और सन्यास) के पालन–पोषण का भार था। यह प्रथा प्राचीन सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्वीकार्य थी। यही से समाज में एक विचारधारा का सृजन हुआ जिन्होंनें 'भिक्षावृत्ति' को तो प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं किया किन्तु दान देने की प्रथा को पुनीत कार्य के रूप में स्थापित कर दिया। इन विचारकों में भगवान विष्णु के अवतार 'वामन' की अभिकल्पना भी प्रस्तुत की जिसमें राजा बलि से पृथ्वी के कल्याण के लिए भिक्षावृत्ति को पुनीत कार्य के रूप में स्थापित हुआ। उक्त प्रसंग को बाद के रचनाकारों में दानवीर कर्ण, महर्षि दधिचि, राजा हरिश्चन्द्र जैसे उदाहरणों से इसे समाज में स्थापित करने का प्रयास किया। जिसमें देश अथवा

RRIJM 2015, All Rights Reserved

मानव जाति के कल्याण अथवा सामाजिक महत्व के कार्यो के लिए भिक्षावृत्ति को उचित कार्य की संज्ञा दी। कालान्तर में यही सोच एक व्यवसाय का रूप लेती चली गयी।

वर्तमान भारत में भिक्षावृत्ति की स्थिति :

भारत की पहचान में यद्पि बदलते दौर में बहुत अधिक सुधार हुआ है किन्तु आज भी इसकी पहचान का एक आईना यह भी है कि **'भारत को दरिद्र नारायणों'** का देश कहा जाता है। एक निजी सर्वेक्षण संस्था द्वारा भिखरियों पर किये गये अध्ययन में यह पाया गया है कि 2011 तक भारत में लगभग 56 लाख लोग 'भिक्षावृत्ति' व्यवसाय से जुड़े है। इसकी संख्या में उत्तरोत्तर तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में अनुमान है कि भारत में लगभग 86 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भिक्षावृत्ति के व्यवसाय में जुड़े है।

इसे व्यवसाय इस लिए कहा जा रहा है क्योंकि भिक्षावृत्ति में केवल वही लोग नहीं जुडे है जो असहाय अथवा अक्षम है, बल्कि इसमें वे लोग भी जुड़े है जिसके कई–कई बैंकों में विधिवत बचत खाते चल रहें है। इनकी शहर के पॉस बस्तियों में सम्पत्तियॉ भी है, ये करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक है। जिनमें से कुछ के नाम तो सार्वजनिक है जैसे –

क्र0सं0	भिखारी का नाम	आय
1	भिखारी भरत जैन	2000 से 2500 रू दैनिक आय (करीब 3 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति का मालिक)
2	भिखारी पप्पू	2.25 करोड़ की स्थाई एवं अस्थाई सम्पत्ति का मालिक
3	भिखारी सर्वतिया देवी	35000 रू0 से अधिक का मासिक बीमा (करीब 2 करोड़ की स्थाई सम्पत्ति की मालिक)
4	भिखारी मासू उका	1000 से 2000 रू0 दैनिक आय (करीब 1.5 करोड की सम्पत्ति का मालिक)
5	भिखारी संभाजी काले	1000 से 1500 रू0 दैनिक आय (करीब 1.5 करोड़ से अधिक सम्पत्ति का मालिक)
6	भिखारी कृष्णा गीते	दैनिक आय 1500 – 2000 रू (करीब 1.25 करोड़ से अधिक सम्पत्ति का मालिक)
स्रोत : राज्यसभा की रिपोर्ट एवं Google Search (India's top richest beggar)		

उक्त आकड़े तो एक उदाहरण मात्र है जिनमें से कुछ नाम सार्वजनिक हो सके है किन्तु अभी कई ऐसे भी नाम है जिनकी सूचना जन सामान्य तक नहीं है क्यों कि जहॉ एक तरह नीजी सर्वेक्षणों में यह संख्या 86 लाख से अधिक है तो वहीं राज्य सभा के रिपोर्ट में 2015 तक केवल 4,13,670 लोग ही भिक्षावृत्ति में पाये गये है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होनें इस वृत्ति को अपना पैतृक व्यवसाय बना लिया है। भिक्षावृत्ति में लगे इन लोगों में करीब 54 प्रतिशत ऐसे लोग है जो साक्षर है, तो वही करीब 36 प्रतिशत लोग स्नातक है और शरीरिक रूप सक्षम भी है।

उक्त वृत्ति के अलावा वर्तमान भारत में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रीयता के आधार पर कई ऐसे युवा है जो समाज सुधारक अथवा सामाजिक–राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते है किन्तु उनके द्वारा समय–समय पर विभिन्न आवश्यकताओं के लिए चंदे के रूप भिक्षावृत्ति की जाती है। इनकी संख्या का आंकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। एक परिकल्पना के आधार पर भारत की लगभग 10 करोड़ युवा सक्रिय राजनीति अथवा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिभाग करतें है। यदि इस संख्या का 20 प्रतिशत भाग भी चन्दे में संलिप्त जोड़ दिया जाय तो करीब 2 करोड़ युवा भी इस भिक्षावृत्ति में संलिप्त है। अर्थात् यदि दोनों भिक्षावृत्ति में संलिप्त आंकड़ों को एकत्रित कर लिया जाय तो करीब 3 करोड़ जनसंख्या इस वृत्ति के व्यवसाय में संलिप्त है। जो कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। दूसरी वाली जनसंख्या का व्यवहार हो वर्तमान समय में विरोधात्मक एवं विध्वंसात्मक होता जा रहा है। इनके द्वारा चन्दे के रूप में की जा रही भिक्षावृत्ति को अधिकार स्वरूप माना जाने लगा है। कई नगरों में तो इसे शुल्क (बसूली) का नाम भी दे दिया गया है, जो एक समानान्तर प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था को जन्म देती हुई प्रतीत होती है। जो सामाजिक अपराधों का केन्द्र बिन्दु भी है। आये दिन समाचार पत्रों में चन्दे के लिए हो रहे अपराधों की बढ़ती संख्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

भिक्षावृत्ति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :

भारत में वर्तमान भिक्षावृति की समस्या कों दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1) **परम्परागत भिक्षावृत्ति**
2) **सामाजिक कार्यो हेतु भिक्षावृत्ति**

परामपरागत भिक्षावृत्ति एक तरह व्यवसाय का रूप लेती जा रही है, और सामाज का एक बड़ा वर्ग इसे नेतृत्व प्रदान कर रहा है। समाचार पत्रों की सूचनाओं को यदि आधार

बनाया जाय तो कई डाक्टरों के द्वारा छोटे बच्चों, महिलाओं, वृद्धों यहॉ तक की नौनिहालों को भी इस वृत्ति के लिए अमानवीय रूप से तैयार किया जाता है। मानवता की सभी सीमाओं को पार करते हुए कई स्थलों पर गैगंवार (गुड़ांगर्दी दल) समूहों द्वारा इसे प्रशय दिया जा रहा है। जो बदलते भारत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। इस वृत्ति के लिए सार्वजनिक स्थलों का बंटवारा तक किया जाता है। प्रत्येक स्थलों पर भीख मांगने वालों का एक समूह सक्रिय है। इन समूहों की आय का आकलन न तो सरकार के पास है और न ही यह समूह सामान्यतः समाज के नजर में आतें है किन्तु इन पर अध्ययन करने वाले कई विश्लेषकों का मानना है कि इनके द्वारा समाज में हो रहें अपराधों में एक लम्बी संलिप्तता पाई जाती है। महानगरों में होने वाले अपराधों में तो इनकी बहुतायतता है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इनका संजाल फैलता जा रहा है।

सामाजिक कार्यो हेतु की जा रही भिक्षावृत्ति आज एक फैशन का रूप लेती जा रही है। यह आज की युवा पीढ़ी को आकर्शित भी कर रही है तो वहीं सामाजिक समरसता के लिए चुनौती भी बनती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी राजनीतिक, धार्मिक, एवं जातीय आधार पर बट चुकी है और एक दूसरे समूह से तुलनात्मक रूप से अधिक आडम्बर के प्रदर्शन के लिए चन्दे के रूप में भिक्षावृत्ति को व्यवसाय बनाती जा रही है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में से यदि कुछ आंकडों को आधार बनाया जाय तो लगभग प्रत्येक वर्ष भारत में 3800 करोड़ रूपयें धार्मिक कार्यो पर चन्दे के रूप में व्यय होता है, तथा करीब 900 करोड़ से अधिक की सरकारी सम्पत्ति का उपयोग इस आशय से अनार्थिक रूप से किया जाता है। इतनी सम्पत्ति का व्यय न तो सरकार को किसी भी प्रकार के उत्पादक कार्यों में सहायता प्रदान कर पाता है और न ही समाज की समस्याओं को दूर करने में सहायक ही होता है। बल्कि दिन प्रतिदिन इस वृत्ति में वृद्धि होती जा रही है इसी कारण से यह कहा जाना उचित होगा कि **''भिक्षावृत्ति भारतीय आर्थिक क्षमता के उत्थान पर एक कोढ जैसा है।''**

उक्त वृत्ति समाज में निम्न कुरीतियों को बढ़ाती जा रही है :

- आपराधिक प्रकृत्ति में निरन्तर वृद्धि
- अनार्थिक क्रियाओं को बढावा
- युवाओं में विकृत मानसिकता को बढ़ावा
- सरकारी इकाईयों पर निरन्तर बढती सुरक्षात्मक चुनौतियॉ
- कार्यशीलता के प्रति युवाओं में निराशात्मक सोच में वृद्धि

भिक्षावृत्ति के निवारण के लिए भारत में किये गये उपाय :

स्वतंत्रता के समय से ही भारतीय नियोजकों ने भिक्षावृत्ति को एक समस्या माना है जिस कारण कई विधिक उपाय किये गये है, जिनका विवरण निम्नवत् है :

- बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 के तहत भिक्षावृत्ति की परिभाषा को लेकर सुझाव दिये गये है। जिसमें गायन, नृत्य, भविष्य बताकर आजीविका कमाना आदि को भिक्षावृत्ति नही माना गया है। इसे व्यवसाय का रूप दिया गया है। अर्थात् उक्त कार्यो में संलिप्त व्यक्ति को भिक्षावृत्ति से अलग कर इनमें व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिए सरकारों को कार्यसूचना निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया।
- जीविका का काई दृश्य साधन न होने और सार्वजनिक स्थान पर इधर–उधर भीख मांगने की मंशा से घूमना भी भिक्षावृत्ति में शामिल है। इस कानून में भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में तीन साल तक के लिए और दूसरी बार में दस साल तक के लिए व्यक्ति को सजा के तौर पर सुधारगृहों में भेजे जाने का नियम है।
- सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांग रहे और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित भिखारियों को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर उन्हें इलाज व अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।
- भिखारियों को लिए गरीब गृहों (Poor House) की स्थापना कर उसने उन्हें भेजा जाय जिससे सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति को कम किया जा सके।
- किसी भी गरीब अथवा मजबूर व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी स्थान पर ले जाकर रखना और सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकने के लिए उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के हनन के कारण 10 साल तक की सजा।
- ऐच्छिक भिक्षावृत्ति को सामाजिक अपराध के श्रेणी में सामिल किया गया है।
- The Persons in Destitution [Protection Care, Rehabilitation] Model Bill, 2016 द्वारा सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण का प्रावधान।
- गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याओं से मजबूर लोगों तक मौलिक सुविधाओं की पहुॅच सुनिश्चित करना जिससे इनके लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान और सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करना।
- गंभीर बिमारी से पीड़ित, अपंगता से ग्रसित और छोटी उम्र के बच्चे जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करना तथा उनके लिए पुनर्वास गृहों की स्थापना करना जिसमें उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाय।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

- सक्षम व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति में उतर चुके है उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर भविष्य में समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाना।
- भिक्षावृत्ति रैंकेटों की पहचान कर उन्हें मानव तस्करी और अपहरण जैसे अपराधों से दूर करना।
- भिक्षावृत्ति में संलिप्त समाज को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगें तथा उन्हें समाज में स्थापित करने पर बल देना होगा।

उक्त प्रयासों द्वारा भारत की भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में भारतीय नियोजकों ने भी इसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक कोढ के रूप में स्वीकार किया है। जिसके लिए कई योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है किन्तु जब तक इसके लिए जन मानस में जागरूकता नही आयेगी तब तक भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर नहीं की जा सकती है। भिक्षावृत्ति की इस चुनौती को दूर करने के लिए निम्नलिखित शपथ हमें भी उठानी पड़ेगी –

- सक्षम व्यक्ति को भिक्षा नही देना।
- धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यो के लिए कार्यात्मक सहयोग देना तथा आर्थिक सहयोग को पूर्णतः रोकना।
- निर्बलों को उनके सम्पूर्ण कल्याण के लिए सुधार गृहों में पहुचाना एवं सरकारी तंत्रों को सूचित करना।
- बाल भिखारियों को अनाथलयों में भेज कर सरकारी तंत्रों को सूचित करना तथा उनके आवश्यकताओं की नियमित जानकारी लेना।
- भिक्षावृत्ति पर रोक लगाकर ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।

उक्त सपथ के लिए निम्न छंद रचना को स्वीकार करना होगा –

हमारे सामने फैले हुए हाथ अपार पर,
चन्द सिक्को को उन पर रखने की अपेक्षा
हमने रख दिया उस पर निदान के मरहम अपार
और कर दिया दूर उन्हें उनकी समस्याओं से।
हॉ कर दिया दूर उनको उनकी भुखमरी से, बेरोजगारी से,
उस जकड़न से जो कर रही थी मेरे देष को तिल–तिल तार–तार
हॉ, मैने निकाल लिया अपने देष की भिक्षावृत्ति का निदान
अब नही करूगॉ किसी भी भिखारी को भिक्षा दान।
दूॅगा तो बस उन्हें रोटी दान, कार्यदान या आरोग्य दान।

संदर्भ स्रोत : –

1. फेसबुक न्युज
2. भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण
3. All World Gauatri Pariwar New
4. दृष्टि आई ए एस

RRIJM 2015, All Rights Reserved